न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
61/2010	धारा 188 RTA	15.09.2010	03.09.2021

1. श्रीमती परमेश्वरी पत्नी स्व. हनुमान
2. रामनिवास पुत्र स्व. हनुमान
3. मेवाराम पुत्र स्व. हनुमान
4. दयानन्द पुत्र स्व. हनुमान
5. सुरेन्द्र पुत्र स्व. हनुमान
6. राजेन्द्र पुत्र स्व. हनुमान
7. विद्या पुत्री स्व. हनुमान
8. सन्तोष पुत्री स्व. हनुमान
9. रतना पुत्री स्व. हनुमान

जाति जाट निवासीगण गांव सिरसली तहसील व जिला चूरू

–वादीगण–

बनाम

1. सुल्तान पुत्र बालूराम
2. ओमप्रकाश पुत्र सुल्तान
3. रणवीर पुत्र सुल्तान
4. विक्रम पुत्र सुल्तान
5. चन्द्रकला पत्नी महीपाल
6. सुनिता पत्नी ओमप्रकाश Deleted on 02-02-11
7. खींवणी पत्नी सुल्तान
8. ताराचन्द पुत्र स्व. चन्द्राराम
9. मोहरसिंह पुत्र स्व. चन्द्राराम
10. काशीराम पुत्र स्व. चन्द्राराम
11. सहीराम पुत्र स्व. चन्द्राराम
12. दलीपकुमार पुत्र ताराचन्द
13. राकेशकुमार पुत्र ताराचन्द

जाति जाट निवासीगण सिरसली तहसील व जिला चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित– 1. अधिवक्ता श्री भीमनाथ सिद्ध व भागीरथ सिद्ध वादीगण
2. अधिवक्ता प्रतिवादीगण अनुपस्थित।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:21 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा [illegible] का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि [illegible] निवासीगण हैं जिनकी खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 409 तादादी 0.02 बीघा, ख.नं. 445 तादादी [illegible] बीघा, ख.नं. 452 तादादी 0.19 बीघा, ख.नं. 545/409 तादादी [illegible] बीघा, ख.नं. 571/[illegible] तादादी 13.14 बीघा कुल खसरा 5 कुल तादादी 15.09 बीघा रोही ग्राम सिरसली में स्थित है जिसमें वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

व हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं। वादगत कृषि भूमि पूर्व में प्रतिवादीगण व अन्य हिस्सेदारों के साथ शामलात में थी जिसमें वादीगण के पूर्वज हनुमान, प्रतिवादी सं. 1 सुल्तान स्वयं, प्रतिवादी सं. 8 से 13 के पूर्वज चन्द्राराम एवं अन्य हिस्सेदार मालाराम ने तहसीलदार, चूरू के समक्ष अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति से दिनांक 10.12.1978 को बंटवारा कर लिया जिसके आधार पर इन्तकाल सं. 32 दिनांक 10.12.1978 को दर्ज एवं तस्दीक किया जाकर सभी हिस्सेदारों के हिस्से के अनुसार अलग–अलग खाते कायम कर दिये गये जो बदस्तूर अलग–अलग ही चल रहे हैं तथा इसी आधार पर सभी अपने–अपने हिस्से को काश्त करते आये हैं। सह हिस्सेदारों के बीच आपसी सहमति से दिनांक 10.12.1978 को बंटवारा होने के बाद वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज हुई कृषि भूमि ख.नं. 409 तादादी 0.02 बीघा, ख.नं. 445 तादादी 0.06 बीघा, ख.नं. 452 तादादी 0.19 बीघा, ख.नं. 545/409 तादादी 0.08 बीघा, ख.नं. 571/440 तादादी 13.14 बीघा कुल खसरा 5 कुल तादादी 15.09 बीघा को पहले वादीगण अपने पूर्वज हनुमान के साथ व उनके स्वर्गवास के बाद वादीगण ही काश्त करते आये हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 7 दिनांक 10.12.1978 से ख.नं. 308 तादादी 16.14 बीघा, प्रतिवादी सं. 8 से 13 ख.नं. 135 तादादी 7 बीघा, ख.नं. 124 तादादी 9.18 बीघा, ख.नं. 309 तादादी 12.17 बीघा, ख.नं. 405 तादादी 7.06 बीघा, ख.नं. 408 तादादी 1.08 बीघा, ख.नं. 440 मिन तादादी 6 बीघा, ख.नं. 358 तादादी 18 विश्वा कुल 45.08 बीघा एवं हिस्सेदार मालाराम के वारिसान ख.नं. 123 तादादी 8.11 बीघा, ख.नं. 136 तादादी 7 बीघा कुल 15.11 बीघा काश्त करते आये हैं तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान के नाम दर्ज चले आ रहे हैं। आपसी सहमति से हुए बंटवारा के बाद से इस वादगत कृषि भूमि को पहले हनुमान के साथ व उनके स्वर्गवास के बाद वादीगण ही काश्त करते आये हैं तथा यह भूमि वादीगण के ही कब्जा उपयोग व उपभोग में है। इस साल बरसात होने पर वादीगण ने इस कृषि भूमि को काश्त किया है जिसमें अब बाजरी की फसल खड़ी है जो पक कर तैयार हो चुकी है और कटाई बाकी है।

सभी वादीगण सीधे साधे एवं कमजोर व्यक्ति हैं जबकि सभी प्रतिवादीगण संख्या में अधिक एवं ताकतवर हैं जो बाहुबल में विश्वास रखते हैं। इसलिए शक्ति के बल पर जबरदस्ती बिना अधिकार वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की उपरोक्त कृषि भूमि को शान्तिपूर्वक तरीके से उपयोग व उपभोग में लेने से वंचित करना चाहते हैं जिसके लिए प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकियां दी हैं कि बाजरी की फसल को हम जबरदस्ती काटकर ले जायेंगे इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाना आवश्यक है कि वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त एवं उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नहीं करें, न वादीगण को बेदखल करें और न स्वयं जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास करें। वादीगण ने प्रतिवादीगण को गांव में काफी बार कहा व कहलवाया परन्तु प्रतिवादीगण ने वादीगण की बात की कोई परवाह नहीं की और आखिरकार दिनांक 12.09.2010 को बमुकाम गांव सिरसली में मानने से साफ इन्कार कर दिया। इसलिये यही इस दावे का कारण है और दावे का आधार वादीगण को वादगत कृषि भूमि उनके स्वयं की खातेदारी कब्जा काश्त एवं उपयोग व उपभोग की होने से है। वादगत कृषि भूमि एवं पक्षकारान का निवास स्थान इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है इसलिये इस न्यायालय को इस दावा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है जो अवधि [illegible] अन्दर मियाद पेश है।

अतः दावा हाज़ा प्रस्तुत कर [illegible] कि यह दावा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखे अनुसार [illegible] किया जावे :–

(क) जरिये [illegible] से प्रतिवादीगण को वर्जित किया जावे कि वो वादगत कृषि भूमि ख.नं. 409 तादादी 0.02 [illegible], ख.नं. 445 तादादी 0.06 बीघा, ख.नं. 452 तादादी 0.19 बीघा, ख.नं. 545/409 तादादी 0.08 बीघा, ख.नं. 571/440 तादादी 13.14 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

कुल खसरा 5 कुल तादादी 15.09 बीघा रोही ग्राम सिरसली तहसील व जिला चूरू जो वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त एवं उपयोग व उपभोग की भूमि है, जिसमें प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें, न वादीगण को अपनी फसल काटने से मना करें, न वादीगण को बेदखल करें, न स्वयं जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास करें।

(ख) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ग) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो वादीगण के हितकर हो या हो जावे वोह भी प्रदान किया जावे।

वादीगण की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी सं. 1 ता 5, 7 ता 13 की तरफ से श्री नन्दराम राहड़ एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी सं. 6 सम्मन तामील होने के बावजूद हाजिर नहीं आने पर बार–बार आवाजें लगाई गई परन्तु हाजिर नहीं आने पर इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उसी समय प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने प्रतिवादी सं. 6 सुनीता का नाम गलत होने से इनका नाम हटाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील वादीगण को दी जाकर शामिल मिसल किया। नाम हटाने के प्रार्थना पत्र पर वकील वादीगण द्वारा अनापत्ति करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 6 का नाम हटाया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादीगण द्वारा पेश जवाबदावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 409 तादादी 0.02 बीघा, ख.नं. 445 तादादी 0.06 बीघा, ख.नं. 452 तादादी 0.19 बीघा, ख.नं. 545/409 तादादी 0.08 बीघा, ख.नं. 571/440 तादादी 13.14 बीघा कुल खसरा 5 कुल तादादी 15.09 बीघा वाके रोही सिरसली पर कब्जा बहैसियत खातेदार प्रतिवादी सं. 1 से 5 व 7 का मौके पर चला आ रहा है जिसमें प्रतिवादी सुल्तान व उसके लड़कों ने रिहायशी ढाणी बनाकर रिहायश कर रहे हैं एवं एक पक्का मकान, दो झोंपड़े व खुडी आदि 48 साल से चली आ रही है। वादीगण का इस भूमि पर कब्जा काश्त न तो पहले था और ना आज है। वादीगण के पिता ने साजिशी व फर्जी तरीके से राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके इस भूमि की खातेदारी अपने अकेले के नाम करवा ली जो फर्जी एवं अवैध इन्द्राज है। वादगत कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सुल्तान व प्रतिवादी सं. 8 से 13 के पूर्वज चन्द्राराम एवं अन्य हिस्सेदार मालाराम का संयुक्त खातेदारी का चला आ रहा था जिन्होंने इस भूमि का विधिवत विभाजन कभी नहीं किया जबकि वादीगण के पूर्वज हनुमान ने नायब तहसीलदार, चूरू से साजिश कर बिना अधिकार क्षेत्र के वादगत कृषि भूमि को बलत व अवैध रूप से अकेले हनुमान के नाम से खातेदारी का राजस्व अभिलेख में अंकन करवा लिया जो अवैध इन्द्राज होने से कानूनन प्रभावशून्य है। नायब तहसीलदार को सन् 1978 में कोई कानूनी अधिकार प्रदत्त थे। वादीगण द्वारा आपसी सहमति से विभाजन बाबत तथ्य पूर्ण रूप से काल्पनिक दर्ज किये गये हैं। सही हकीकत यह है कि आपस में भाई बंटवारा में वादगत कृषि भूमि प्रतिवादी सुल्तान के हिस्से में संवत् 2019 में की गई, तब से लेकर आज तक कब्जा काश्त तथा रिहायशी ढाणी अकेले सुल्तान का चला आ रहा है। उक्त ... में बनी रिहायशी ढाणी में सुल्तान मय परिवार प्रतिवादी सं. 1 से 5 व 7 रिहायश कर रहे आ रहे हैं। भाई बंटवारा में वादीगण के पूर्वज हनुमान के हिस्से में खेत ख.नं. 309 ... रोही मौजा सिरसली में तथा तारानगर के साहवा ग्राम में स्थित कृषि भूमि ... में रोही ठकराली चारनान में 3 बीघा कृषि भूमि आई थी जिसको वादीगण काश्त करते हैं। ख.नं. 308 तादादी 16.14 बीघा, ख.नं. 135 तादादी 7 बीघा, ख.नं. 124 तादादी 9.18 बीघा, ख.नं. 405 तादादी 7.06 बीघा, ख.नं. 408

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

तादादी 1.08 बीघा, ख.नं. 570/440 तादादी 6 बीघा, ख.नं. 358 तादादी 18 विश्वा कुल तादादी 49.04 बीघा वाके रोही सिरसली प्रतिवादी सं. 8 ता 13 एवं स्व. चन्द्राराम के अन्य वारिसान के कब्जे काश्त एवं भाई बंटवारा में चली आ रही है। हिस्सेदार मालाराम के वारिसान के भाई बंटवारा में ख.नं. 123 तादादी 8.11 बीघा, ख.नं. 136 तादादी 7 बीघा कुल 15.11 बीघा भूमि वाके रोही सिरसली में चली आ रही है। इस भूमि का आपसी सहमति से विभाजन दिनांक 10.12.1978 को कभी नहीं हुआ। इसलिए दावा वादीगण खारिज योग्य है। इस वर्ष सावणी फसल की काश्त में बाजरी, मोठ, मूंग की काश्त प्रतिवादी सुल्तान द्वारा की गई तथा वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 से 5 द्वारा चने की फसल काश्त की गई है जो मौके पर मौजूद है। पिछले 48 वर्षों से वादगत कृषि भूमि पर कब्जा काश्त व रिहायशी ढाणी प्रतिवादी सुल्तान की चली आ रही है। वादीगण द्वारा दावा में सम्पूर्ण तथ्य गलत व काल्पनिक रूप से दर्ज किये हैं इसलिए दावा वादीगण काबिल खारिज है।

प्रतिवादीगण ने विशेष कथन में अंकित किया कि इसी कृषि भूमि एवं अन्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में दावा सन् 2004 शिशपाल बनाम परमेश्वरी आदि घोषणात्मक खातेदारी एवं दुरूस्ती रिकार्ड बाबत पहले से जेरकार है। इसलिये पूर्व दावा सं. 53/2004 में तनकी भी बनी हुई है। इस दावा की वादगत विषयवस्तु तथा पूर्व दावा घोषणात्मक की वादगत विषयवस्तु एक ही है तथा समान पक्षकार हैं। ऐसी स्थिति में यह दावा धारा 10 एवं 11 सी.पी.सी. के अन्तर्गत चलने योग्य नहीं है। वादगत कृषि भूमि प्रतिवादी सुल्तान के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की है। इस वादगत कृषि भूमि में रिहायशी ढाणी पक्का कमरा, झोंपड़ा, खुडी आदि बनाकर प्रतिवादी सं. 1 ता 5 व 7 रिहायश करते चले आ रहे हैं। यह भूमि संवत् 2019 में भाई बंटवारा मौखिक में अकेले सुल्तान को दी गई जिस पर 48 साल से लगातार कब्जा एवं काश्त रिहायश बहैसियत खातेदार प्रतिवादी सुल्तान का चला आ रहा है। वादीगण का कोई कब्जा काश्त वादगत कृषि भूमि पर भौतिक रूप से नहीं है। इसलिए दावा वादीगण खारिज योग्य है जो खारिज फरमाया जावे।

वकील वादीगण ने दस्तावेज पेश करने हेतु समय चाहा। अगली तारीख पेशी पर वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 10 व सपठित धारा 151 सीपीसी का दावा कार्यवाही स्थगित करने हेतु इस आशय का पेश किया कि इसी कृषि भूमि एवं इन्हीं पक्षकारों के मध्य घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकार्ड वाद सं. 53/04 अनुवानी शीशपाल बनाम परमेश्वरी वगैरह पूर्व से ही विचाराधीन होने से दोनों दावों की सुनवाई एक साथ की जावे या इस दावा की कार्यवाही पूर्व दावा के निर्णय तक स्थगित की जावे। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया एवं पूर्व दावा सं. 53/04 के निर्णय तक इस दावा की कार्यवाही दिनांक 14.06.11 को स्थगित की गई। तत्पश्चात् पुराने दावा सं. (53/2004) 338/2016 अनुवानी शिशपाल बनाम परमेश्वरी आदि के अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो जाने से इस दावा में दिनांक 31.01.19 को कार्यवाही पुनः शुरू की गई।

दावा के निस्तारण हेतु निम्नांकित तनकियात् कायम की जाकर वकील उभयपक्ष को समझाईश की गईः–

1. आया वादगत कृषि भूमि ख.[illegible] 409, [illegible]45, 452, 545/409, 571/440 कुल तादादी 15.09 [illegible] वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त एवं उपयोग उ[illegible] प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिकी से पाबन्द करवाने के व[illegible]गण अधिकारी हैं ?

–जिम्मे वादीगण–

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

2. आया प्रतिवादीगण को चिरस्थाई से वर्जित किया जावे कि वे उपरोक्त वादगत कृषि भूमि में वादीगण के कब्जा काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें, ना वादीगण को अपनी फसल काटने से मना करें, ना वादीगण को बेदखल करें और ना ही जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास करें ?

—जिम्मे वादीगण—

3. आया उपरोक्त वादगत कृषि भूमि 48 वर्षों से लगातार प्रतिवादी सुल्तान के कब्जे काश्त में चली आ रही होने से दावा वादीगण काबिल खारिज है ?

—जिम्मे प्रतिवादी—

4. अन्य अनुतोष।

तनकियात् कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। साक्ष्यवादी में गवाह दयानन्द व रामनिवास ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये जिनकी प्रति वकील प्रतिवादी को दी जाकर शामिल मिसल किया। वकील प्रतिवादी ने धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र बिना स्टाम्प चस्पा किये नोटेरी से प्रमाणित करवा कर पेश किये गये हैं जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने से वापिस लौटाये जावें। वादीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि ये शपथ पत्र नोटेरी के सामने शपथ लेकर प्रमाणित करवा कर पेश किये गये हैं जो साक्ष्य में ग्राह्य हैं। स्टाम्प चस्पा नहीं होने पर शपथ पत्र में प्रतिरक्षा ग्राह्य नहीं हो सकती। न्यायालय को यह शक्तियां प्राप्त हैं कि यदि विचारण के दौरान यह पाया जावे कि कोई फीस या स्टाम्प चस्पा होने से रह गया है तो न्यायालय इसके लिये कभी भी अनुमति प्रदान कर सकता है। दोनों पक्षों को सुना जाकर धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण को नये साक्ष्य शपथ पत्रों पर निर्धारित स्टाम्प चस्पा कर नोटेरी से सत्यापित करवा कर पेश करने का आदेश किया गया। वादीगण ने आदेश की पालना करते हुए नियमानुसार नये साक्ष्य शपथ पेश किये गये। तत्पश्चात् वादीगण के साक्ष्यों से जिरह हेतु वकील प्रतिवादी बार—बार समय लेते रहे जिस पर दिनांक 03.12.20 को उन्हें जिरह हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। नियत तारीख पेशी दिनांक 18.02.21 को वकील प्रतिवादीगण ने हिदायत पैरवी नहीं होने का अंकन किया। साक्ष्यों के बयान लेखबद्ध किये गये। वकील प्रतिवादी के हिदायत पैरवी नहीं होने का अंकन करने से जिरह शून्य रही। बयानात् बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किये गये। वादीगण द्वारा अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्यवादी बन्द की गई तथा प्रतिवादीगण की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली बहस में नियत की गई।

बहस हेतु प्रतिवादीगण को बार—बार आवाजें लगाई गई परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से बिना कोई उचित कारण के कोई उपस्थित नहीं हुआ जिस पर वकील वादीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादगत कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग की कृषि भूमि है। उक्त वादगत कृषि भूमि पूर्व में वादीगण, प्रतिवादीगण एवं अन्य सह खातेदारों की शामलाती कृषि भूमि रही है जिसका पक्षकारों की आपसी सहमति से खाता विभाजन दिनांक 10.12.1978 को तहसीलदार, चूरू के समक्ष विधिवत रूप से करवाया गया था, जिससे वादगत कृषि भूमि बाद विभाजन वादीगण के नाम खातेदारी में विधिवत रूप से दर्ज हुई तथा आज भी वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में चली आ रही है परन्तु प्रतिवादीगण बिना किसी हक अधिकार के तथा बिना किसी आधार पर वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि पर जोर जबरदस्ती कब्जा करने, फसल काटने से मना करने एवं वादीगण को बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देते रहते हैं तथा वादीगण को उनके हक अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाना आवश्यक है। हमने

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अपने दावा कथनों एवं दावा के साथ पेश दस्तावेजात् को साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया है जिनसे वादीगण का दावा प्रमाणित होता है। प्रतिवादीगण की ओर से दावा का प्रतिवाद अवश्य किया है परन्तु उनकी ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं जिससे दावा वादीगण पूर्ण रूप से वादीगण के पक्ष में प्रमाणित होता है। अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे।

वकील वादीगण की बहस सुनी जाकर सम्पूर्ण पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर एवं बहस के तथ्यों पर चिन्तन मनन किया गया। वादीगण ने अपने दावा में वादगत कृषि भूमि ख.नं. 409, 445, 452, 545/409, 571/440 कुल तादादी 15.09 बीघा रोही ग्राम सिरसली को पूर्व में अन्य कृषि भूमियों के साथ वादीगण के पूर्वज हनुमान, प्रतिवादी सं. 1 सुल्तान, प्रतिवादी सं. 8 से 13 के पूर्वज चन्द्राराम एवं अन्य सह खातेदार मालाराम की शामलाती होना बताया है जिसका सह खातेदारों की आपसी सहमति से खाता विभाजन तहसीलदार, चूरू के समक्ष करवाया गया तथा विभाजन के बाद यह कृषि भूमि वादीगण के पूर्वज हनुमान के नाम खातेदारी में दर्ज हुई है एवं उनके स्वर्गवास के बाद यह भूमि वादीगण के नाम जरिये विरासतन इन्तकाल खातेदारी में दर्ज हुई है। वादीगण ने इस भूमि पर इस वर्ष बाजरी की फसल काश्त कर रखी है जो पककर तैयार है। वादीगण ने वादगत कृषि भूमि अपने पूर्वज हनुमान के समय से वादीगण की कब्जा काश्त, खातेदारी व उपयोग उपभोग की होने का तथ्य अंकित करते हुए वादगत कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी हक अधिकार के जबरदस्ती ताकत के बल पर कब्जा करने, जबरदस्ती फसल काट कर ले जाने एवं वादीगण को इस भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकियां देने पर जरिये चिरस्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित करवाने का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादीगण ने जवाब में दावा में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए इस कृषि भूमि का आपसी सहमति से विभाजन होने के तथ्य को गलत बताया है तथा पूर्व शामलाती कृषि भूमियों का सम्वत् 2019 में खातेदारों के मध्य भाई बंटवारा होकर वादगत कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 सुल्तान के हिस्से में आना बताया है। प्रतिवादी सं. 1 से 5 व 7 ने यह भी कथन किया है कि सम्वत् 2019 से वादगत कृषि भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 का मौके पर कब्जा काश्त, उपयोग व उपभोग बतौर खातेदार रहा है। प्रतिवादी सं. 1 से 5 व 7 ने इस भूमि पर ढाणी, पक्का कमरा, झोंपड़े व खुडी बना रखी है जिसमें परिवार सहित निवास कर रहे हैं। इस प्रकार पिछले 48 वर्षों से इस भूमि पर कब्जा, काश्त, उपयोग व उपभोग प्रतिवादी सं. 1 से 5 व 7 का होने से वादीगण इस भूमि पर चिरस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रदर्श–1 प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 रोही ग्राम सिरसली के अनुसार ख.नं. 409, 445, 452, 545/409, 571/440 कुल तादादी 15.09 बीघा में वादीगण खातेदार अंकित है। प्रदर्श–2 प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 रोही ग्राम सिरसली के अनुसार ख.नं. 308 तादादी 16.14 बीघा में प्रतिवादी सं. 1 सुल्तान खातेदार अंकित है। प्रदर्श–3 जमाबन्दी ख.नं. 123, 136 कुल तादादी 15.11 बीघा में पूर्व सह खातेदार रहे स्व. माला के वारिसान खातेदार दर्ज हैं। प्रदर्श–4 नकल नामान्तरकरण संख्या 32 ग्राम सिरसली के अनुसार पूर्व शामलाती कृषि भूमियों का खाता विभाजन राजस्व अभियान कैम्प सिरसला में तहसीलदार चूरू के आदेश दिनांक 10.12.1978 को होकर यह नामान्तरकरण दर्ज हुआ है जिसमें [illegible] कृषि भूमि वादीगण के पूर्वज हनुमान के नाम खातेदारी में दर्ज हुई है तथा [illegible] 16.14 बीघा की भूमि प्रतिवादी सं. 1 सुल्तान के नाम दर्ज हुई है। प्रदर्श–5 [illegible] भूमि की नकल नक्शा है। प्रदर्श–6 प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी खेत ख.नं. 308 की नकल नक्शा है। प्रदर्श–7 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 के अनुसार वादगत कृषि भूमि के तत्समय के खातेदार वादीगण के पूर्वज हनुमान के नाम खातेदारी दर्ज है तथा हनुमान का स्वर्गवास होने पर विरासतन नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

संख्या 220 दिनांक 20.06.01 दर्ज होकर वादगत कृषि भूमि वादीगण के नाम दर्ज हुई है ज़िसका नोट कॉलम सं. 12 से 17 में लाल स्याही से अंकित है। प्रदर्श–8 जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 ग्राम सिरसली के ख.नं. 124, 135, 309, 358, 405, 408, 570/440 कुल तादादी 45.07 बीघा में शामलाती कृषि भूमि के खातेदार स्व. चन्द्रा के वारिसान खातेदार अंकित हैं। प्रदर्श–9 जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 ख.नं. 123, 126 कुल तादादी 15.11 बीघा में स्व. माला के वारिसान खातेदार अंकित हैं। प्रदर्श–10 जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 ख.नं. 308 तादादी 16.14 बीघा मे सुल्तान खातेदार अंकित है। प्रदर्श–11, प्रदर्श–12 व प्रदर्श–14 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2057 से 2060 के ख.नं. 124, 135, 309, 358, 405, 408, 570/440 कुल तादादी 45.07 बीघा में प्रतिवादी सं. 7 से 13 की काश्त अंकित है, ख.नं. 409, 445, 452, 545/409, 571/440 कुल तादादी 15.09 बीघा में वादीगण के पूर्वज हनुमान की काश्त अंकित है तथा ख.नं. 123, 136 कुल तादादी 15.11 बीघा में स्व. माला के वारिसान की काश्त अंकित है। प्रदर्श–13 व प्रदर्श–15 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2062 से 2065 ख.नं. 308 में प्रतिवादी सुल्तान की काश्त अंकित है। प्रदर्श–16 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2057 से 2060 के ख. नं. 308 में सुल्तान की काश्त अंकित है। प्रदर्श–17 नकल नक्शा ख.नं. 308 व प्रदर्श–18 नकल नक्शा ख.नं. 123, 136 ग्राम सिरसली हैं। साक्ष्यवादी के बयानों में गवाहों ने दावा में अंकित तथ्यों की पुष्टि करते हुए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित करने का निवेदन किया है। दावा में प्रतिवादीगण ने जवाबदावा अवश्य पेश किया है परन्तु साक्ष्य पेश नहीं किये हैं।

उपरोक्तानुसार पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात के अवलोकन के पश्चात् दावा का निर्णय कायम की गई तनकीवार किया जाना उचित मानते हुए तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया गयाः–

<u>तनकी नं. 1</u> में वर्णित है कि "आया वादगत कृषि भूमि ख.नं. 409, 445, 452, 545/409, 571/440 कुल तादादी 15.09 बीघा रोही मौजा सिरसली वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग की भूमि होने से प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द करवाने के वादीगण अधिकारी हैं ?"

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादीगण पर रहा है जिन्होंने अपने दावा के साथ दस्तावेज प्रदर्श–1 से प्रदर्श–18 पेश किये है तथा साक्ष्यवादी में दो गवाह पेश कर बयानों से दस्तावेजों को पुष्ट किया है। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 ग्राम सिरसली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है वादगत कृषि भूमि ख.नं. 409, 445, 452, 545/409, 571/440 कुल तादादी 15.09 बीघा वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि है। प्रदर्श–4 नामान्तरकरण सं. 32 दिनांक 10.12.1978 के अवलोकन से दावा में अंकित इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वादगत कृषि भूमि पूर्व में अन्य कृषि भूमियों के साथ वादीगण के पूर्वज हनुमान, प्रतिवादी सं. 1, प्रतिवादी सं. 8 से 13 के पूर्वज चन्द्रा व अन्य सह खातेदार हनुमान की शामलाती कृषि भूमि रही है जिसका आपसी सहमति से खाता विभाजन राजस्व अभियान कैम्प सिरसला में तहसीलदार, चूरू के आदेश दिनांक 10.12.1978 से होकर वादगत कृषि भूमि वादीगण के पूर्वज हनुमान के नाम खातेदारी में दर्ज हुई है। प्रदर्श–7 जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वादगत भूमि के खातेदार वादीगण के पूर्वज हनुमान का स्वर्गवास होने पर विरासतन नामान्तरकरण संख्या 220 दिनांक 20.06.01 दर्ज होकर वादगत कृषि भूमि वादीगण के नाम दर्ज हुई है जिसका नोट कॉलम सं. 12 से 17 में लाल स्याही से अंकित है। प्रदर्श–12 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2057 से 2060 के अवलोकन से यह जाहिर है कि वादगत कृषि भूमि पर काश्त वादीगण व उनके पूर्वज हनुमान की रही है जिसमें ख.नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

571/440 में सम्वत् 2057 में बाजारा–मोठ, 2058 में बाजरा–मोठ व मूंग एवं 2060 में ब्राजरा–मोठ की काश्त दर्शित है। प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 ख.नं. 308 में प्रतिवादी सं. 1 सुल्तान खातेदार अंकित है, प्रदर्श–3 जमाबन्दी ख.नं. 123, 136 में पूर्व में शामलाती कृषि भूमियों में सह खातेदार रहे माला के वारिसान खातेदार दर्ज हैं। प्रदर्श–5 वादगत कृषि भूमि का नक्शा है तथा प्रदर्श–6 प्रतिवादी सं. 1 सुल्तान की खातेदारी भूमि ख.नं. 308 का नक्शा है। प्रदर्श–8 जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 के ख.नं. 124, 135, 309, 358, 405, 408, 570/440 कुल तादादी 45.07 बीघा में प्रतिवादी सं. 8 से 13 खातेदार दर्ज हैं। प्रदर्श–9 में ख.नं. 123, 136 में स्व. माला के वारिसान खातेदार दर्ज हैं। प्रदर्श–10 जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 ख.नं. 308 में प्रतिवादी सं. 1 खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–11, प्रदर्श–13 से प्रदर्श–16 खसरा गिरदावरियों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी सं. 1 ख.नं. 308, प्रतिवादी सं. 8 से 13 ख.नं. 124, 135, 309, 358, 405, 408, 570/440 एवं पूर्व सह खातेदार रहे स्व. माला के वारिसान की काश्त ख.नं. 123, 126 पर होना दर्ज है। प्रदर्श– 17 व 18 जो क्रमशः ख.नं. 308 एवं 123, 136 के नक्शे हैं।

उपरोक्तानुसार दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 409, 445, 452, 545/409, 571/440 कुल तादादी 15.09 बीघा रोही मौजा सिरसली वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग की भूमि है। प्रतिवादीगण ने दावा का प्रतिवाद करते हुए वादगत कृषि भूमि के मौके पर सम्वत् 2019 से लेकर आज तक कब्जा व काश्त एवं उपयोग, उपभोग प्रतिवादी सं. 1 से 5 व 7 का होने का तथ्य अंकित किया है तथा इस भूमि में ढाणी व पक्के मकानात बनाकर परिवार सहित निवास करना बताया है परन्तु कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किये हैं जिनसे यह साबित होता हो कि वादगत कृषि भूमि के मौके पर प्रतिवादी सं. 1 से 5 व 7 का कब्जा व काश्त रही हो जबकि वादीगण ने अपने दावा कथनों एवं दस्तावेज को साक्ष्यवादी के बयानों से प्रमाणित कराया है जिससे दावा में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। प्रदर्श–1, प्रदर्श–7 व प्रदर्श–12 से यह साबित होता है कि वादगत कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग की भूमि है। प्रदर्श–3, 4, 8 से 11, 13 से 16 से यह साबित होता है कि प्रतिवादी सं. 1 से 5 व 7 तथा 8 से 13 एवं अन्य खातेदार माला के वारिसों की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमियां वादगत कृषि से अलग ख.नं. 308 व 123, 136 एवं ख.नं. 124, 135, 309, 358, 405, 408, 570/440 की हैं। वादगत कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग की भूमि होने से वादीगण अपने खातेदारी हक अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द करवाने के अधिकारी हैं। तनकी नं. 1 वादीगण के पक्ष में प्रमाणित होती है। अतः तनकी नं. 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं. 2</u> में वर्णित है कि "आया प्रतिवादीगण को चिरस्थाई से वर्जित किया जावे कि वे उपरोक्त वादगत कृषि भूमि में वादीगण के कब्जा काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें, ना वादीगण को अपनी फसल काटने से मना करें, ना वादीगण को बेदखल करें और ना ही जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास करें ?"

तनकी नं. 2 को साबित करने का भार वादीगण का रहा है। दावा में कायम तनकी नं. 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है, तनकी नं. 2 स्वतः ही वादीगण के पक्ष में साबित होती है। वादगत कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग की भूमि है इसलिए प्रतिवादीगण को इस भूमि पर किसी भी तरह की दखलन्दाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं है। चूंकि प्रतिवादीगण वादीगण को वादगत कृषि भूमि से

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

जबरदस्ती फसल काट कर ले जाने, बेदखल करने एवं जबरन कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं इसलिए वादीगण अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि की रक्षार्थ प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की चिरस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर उनको पाबन्द करवाने के अधिकारी हैं कि प्रतिवादीगण वादगत कृषि भूमि में वादीगण के कब्जा काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें, ना वादीगण को अपनी फसल काटने से मना करें, ना वादीगण को बेदखल करें और ना ही जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास करें। तनकी नं. 2 वादीगण के पक्ष में प्रमाणित होती है। अतः तनकी नं. 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 3 में वर्णित है कि "आया उपरोक्त वादगत कृषि भूमि 48 वर्षों से लगातार प्रतिवादी सुल्तान के कब्जे काश्त में चली आ रही होने से दावा वादीगण काबिल खारिज है ?"

तनकी नं. 3 को प्रमाणित करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर रखा गया था जिन्होंने जवाब में कथन किया है कि वादीगण के पूर्वज हनुमान ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर साजिशपूर्वक यह भूमि अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाई है। वादगत कृषि भूमि के मौके पर सम्वत् 2019 में सह खातेदारों के मध्य हुए भाई बंटवारा के अनुसार पिछले 48 वर्षों से लगातार कब्जा व काश्त एवं उपयोग, उपभोग प्रतिवादी सं. 1 से 5 व 7 का रहा है तथा प्रतिवादी सं. 1 से 5 व 7 इस भूमि में ढाणी व पक्के मकानात बनाकर परिवार सहित निवास करते हैं। वादीगण का इस कृषि भूमि के मौके पर कोई कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग नहीं है। इसलिए वादीगण का वादगत कृषि भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से तथा पिछले 48 वर्षों से प्रतिवादी सुल्तान के कब्जे काश्त में चली आ रही होने से दावा वादीगण काबिल खारिज है परन्तु प्रतिवादीगण ने अपने जवाब कथनों को अपने पक्ष में साबित करने हेतु कोई साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। इसलिए तनकी नं. 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होती है। अतः तनकी नं. 4 प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 4 अन्य अनुतोषः– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय

दावा में कायम की गई तनकी नं. 1 व 2 वादीगण के पक्ष में एवं तनकी नं. 3 प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित होने से दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को चिरस्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 409 तादादी 0.02 बीघा, ख.नं. 445 तादादी 0.06 बीघा, ख.नं. 452 तादादी 0.19 बीघा, ख.नं. 545/409 तादादी 0.08 बीघा, ख.नं. 571/440 तादादी 13.14 बीघा कुल खसरा 5 कुल तादादी 15.09 बीघा रोही ग्राम सिरसली तहसील व जिला चूरू में वादीगण के कब्जा काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें, ना वादीगण को अपनी फसल काटने से मना करें, ना वादीगण को बेदखल करें और ना ही जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2021 [illegible] द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:21 IST
Reason: SelfAttested

(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)